

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उमवान

नगनीत बनाम उमैद सिंह आदि

दावा बाबत :- 88 RTA ct

मुकदमा नम्बर :- 24/1/2020

निर्णय दिनांक :- 11-11-2021

वादी की ओर से वकील शिवान सिंह की व प्रतिवादी सं0 192 की ओर से वकील संजय कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

श्रीमती मोजा मिरानी के मु. नं. 75 किला नं. 11/20, 21/4, मु. नं. 75 किला नं. 13 ता 18, 23/3, 24/3, 25/4 मु. नं. 436 किला नं. 3, 8, 13, 18, 21, 22, 23 मु. नं. 501 किला नं. 1 ता 3, 17/2 मु. नं. 582 किला नं. 2/2, 3, 4, 5 कुल 5.5270 हे० मारानी खातदार व रोध पक 8552 के मु. नं. 120 किला नं. 20 ता 24, 25, मु. नं. 142 किला नं. 5 मु. नं. 143 किला नं. 1 ता 4, 5 कुल 3.011 हे० नदरी 2.733 हे० मारानी 0.253 हे०, गैर मु० खाला 0.025 हे० खातदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 उमैद सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है म से अकेले प्रतिवादी सं. 1 के वजार वादी नगनीत व प्रतिवादी सं. 1 उमैद सिंह व प्रतिवादी सं. 2 अनिमा के वदिल्ला वरकर के खातदार का ब्यापार घोषित किया जाता है यदि कृषि भूमि वृक्ष के रहन हो तो रहन मुक्त होने पर उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अमल दूर भेद किया जावे। राजीनामा को डिक्री का भाग पढा जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह पचा डिक्री आज दिनांक 11-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)  
प्र.गा. के संग अ.-2021  
कैम्प 25/1/2020